न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–460/2026

(फुलपरास थाना कांड संख्या–155/2026; अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम विकास कुमार

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
18.05.2026	आवेदक अभियुक्त **विकास कुमार,** उम्र–25 वर्ष, पिता–शिव कुमार यादव, सा0–सुग्गापट्टी, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी की ओर से फुलपरास थाना कांड संख्या 155/2026 (अन्तर्गत धाराः 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 11.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता डॉ विजय कुमार मंडल द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास (फुलपरास थाना कांड संख्या–332/2020, 47/2026) है जिसमें से एक कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। याचिकाकर्ता को शंका के आधार पर इस कांड में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है तथा तथा उसके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने की संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से अभियुक्त शिवकुमार यादव को गिरफ्तार किया गया तथा उनके घर से कुल 36 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब बरामद किया गया। गिरफतार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उनका बेटा विकास कुमार उन्हे शराब लाकर देता है जिसे वह घर से बेचने का काम करते है। आवेदक का इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 18.04.2026 को समय करीब 19:30 बजे प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल ग्राम सुगापट्टी स्थित शिवकुमार यादव के घर पंहुची तथा शिवकुमार यादव को गिरफतार किया एवं उनके घर के अन्दर बने शौचालय से दो सूती बोरा से 04 कार्टून, प्रत्येक कार्टून 30 बोतल, प्रत्येक बोतल 300 मि0ली0, कुल 36 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब बरामद किया गया। पकड़ाए व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसका पुत्र विकास कुमार जो इस अग्रिम जमानत आवेदन के याचिकाकर्ता है उन्हे शराब लाकर देता है जिसे वह घर से बेचने का काम करता है तथा उनका पुत्र एक माह पहले शराब केस में पकड़ा गया था	
लगातार...		

Nayan Kumar

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–460/2026

(फुलपरास थाना कांड संख्या–155/2026; अन्तर्गत धारा: 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम विकास कुमार

18.05.2026	जो कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकर आया है। कांड दैनिकी के कंडिका 36 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास (फुलपरास थाना कांड संख्या–332/2020, 47/2026) है जिसमें से एक कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 02, 04, 05, 06, 13 एवं 29 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा बरामद शराब आवेदक के होने की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टिया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के भंडारण एवं कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, आवेदक के आपराधिक इतिहास एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **विकास कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 18.05.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि० न्या० उ०, झंझारपुर

Scanned with CamScanner